

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव कुमार पुत्र श्याम लाल नि० मधईपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-29/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबू पुत्र देवेन्द्र नि० अतर सुईयाँ थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-66/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बब्लू पुत्र इब्राहिम नि० पठान टोला थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-54/21, धारा 8/20, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 13.02.2021 को थाना कटराबाजार के उ०नि० वशी अहमद मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को नहर पुलिया पाठकपुरवा वीरपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० वशी अहमद।
02. हे०का० रामप्रताप सिंह।
03. का० देवनाथ यादव।

